

पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. २०.११.०१२२ को पेश हो।

२०/१०/२२ पत्रावली पेश हुआ वकील याची  
अनुपस्थित है। वकील याची को  
बालू आराजे दिलवानी जारी उसके  
कोषण्ड में वकील याची उपस्थित  
ना होने के कारण याची का  
पा. पत्र ०१२३ जारी के खारिज  
किया जाता है। पत्रावली में  
शुमार होकर ५९ नम्बर से कर  
हो। आदेश सुले-यालाल में  
मुनाम

उपरखण्ड अधिकारी  
साँभर लेक

